समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

हनुमानगढ़ मे उंप मुख्य निर्वाचन अधिकारी सोमदत्त दीक्षित ने लिया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 का जायजा, 93 हजार से अधिक परिगणना प्रपत्र वितरित

राजेश चौधरी

Published on 07 Nov 2025

हनुमानगढ़ : जिले में चल रहे **विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम—2026 (SIR 2026)** की प्रगति का जायजा लेने के लिए **उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सोमदत्त दीक्षित** ने गुरुवार को **हनुमानगढ़** का दौरा किया। उन्होंने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर **बीएलओ द्वारा परिगणना प्रपत्र वितरण और मतदाता मैपिंग कार्य** की समीक्षा की।

श्री दीक्षित ने बताया कि जिले में **अब तक 93 हजार से अधिक परिगणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वितरित** किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत मतदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर **मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाने का कार्य तेजी से जारी** है। उन्होंने कहा कि **एसआईआर कार्यक्रम का जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन** किया जा रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने अपने दौरे के दौरान **हनुमानगढ़ विधानसभा के सतीपुरा** तथा **संगरिया विधानसभा के नाथवाना, जंडवाला सिखान, मोरजंड सिखान, चक हीरा सिंह वाला, नुकेरा और किशनपुरा उत्तरादा गांवों** में जाकर वितरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने **बीएलओ टीमों से बातचीत कर प्रपत्र वितरण की स्थिति, मतदाता जागरूकता और जनसहयोग** की जानकारी ली।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि **जिले के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों मे नंए परिगणना फॉर्म (ईएफ)** की छपाई और घर-घर वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि जिले में अब तक **65 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।**

वर्तमान में जिले में **14 लाख 47 हजार 472 मतदाता पंजीकृत है**, जिनमें **40 वर्ष से अधिक आयु के 6,99,464 मतदाताओं मे से 84.62% की मैपिंग पूरी** हो चुकी है। वहीं **40 वर्ष से कम आयु वाले 7,48,008 मतदाताओं मे से 46.84% की मैपिंग**

उनके पारिवारिक विवरणों की सहायता से की जा चुकी है। इससे अब तक कुल मिलाकर **जिले के लगभग 65 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग** पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम पिछले **विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची** में उनके माता-पिता, दादा-दादी या परिवारजन के नाम से जुड़ा हुआ है, उन्हें इस बार केवल परिगणना प्रपत्र में जानकारी भरनी होगी। **ऐसे मतदाताओं को किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।**

मैपिंग प्रक्रिया का लाभ बताते हुए श्री दीक्षित ने कहा कि यदि किसी मतदाता का मिलान देश के किसी भी राज्य या जिले की पिछली मतदाता सूची से हो जाता है, तो उसे किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इससे मतदाताओं के लिए प्रक्रिया सरल और सुविधा जनक बन गई है।

उन्होंने बताया कि **4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025** तक जारी गणना चरण के दौरान **बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर दो प्रति में परिगणना प्रपत्र लेकर पहुंच रहे है।** इस फॉर्म में कुछ सूचनाएं पहले से मुद्रित हैं, जैसे — मतदाता का नाम, ईपिक नंबर, पता, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को **अपने पिता, माता, जीवनसाथी, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी** भरनी होती है।

यदि मतदाता पहले की सूची में शामिल नहीं थे, तो उन्हें अपने परिवार के उन सदस्यों का विवरण देना होगा जो उस समय मतदाता थे, जैसे — **माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी** आदि। इस जानकारी के आधार पर ही मतदाताओं की **वंशावली मैपिंग** पूरी की जाएगी।

श्री दीक्षित ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे **अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो** के साथ बीएलओ द्वारा दिया गया **परिगणना प्रपत्र भरकर 4 दिसंबर 2025 तक जमा करवाएं।** उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया एक **स्वच्छ, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची निर्माण** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि मतदाता वर्ष **2002 की मतदाता सूची का डेटा** तैयार रखें, ताकि पुराने रिकॉर्ड से उनका नाम या परिवार का संबंध सत्यापित किया जा सके। मतदाता अपना नाम **election.rajasthan.gov.in** या **voters.eci.gov.in** वेबसाइट पर जाकर भी खोज सकते हैं।

श्री दीक्षित ने कहा — *“[illegible]”*

हनुमानगढ़ जिले में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों, बीएलओ टीमों और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त मेहनत से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मतदाताओं में भी इस अभियान को लेकर जागरूकता और उत्साह देखा जा रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/राजेश चौधरी, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.